

**अनुदान संख्या 38 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग**  
**GRANT No. 38 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित—	Charged-			
मूल	Original	263,67,00		
		330,46,00	323,40,66	-7,05,34
पूरक	Supplementary	66,79,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,48,00
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5776,60,00		
		5800,68,00	5780,35,68	-20,32,32
पूरक	Supplementary	24,08,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,00,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	142,76,00		
		212,81,00	178,04,01	-34,76,99
पूरक	Supplementary	70,05,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			17,00,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित हिस्से में, कुल बचतें (₹705.34 लाख) दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹6679.00 लाख के पूरक विनियोग का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 2 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹705.34 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary appropriation of ₹6679.00 lakhs obtained in December, 2023 and 2 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
---------------------------------------	--	------------------

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2016"	Head Major Head "2016"				
लेखापरीक्षा	Audit				
मू.	O.	26367.00			
पू.	S.	6679.00	32598.00	32340.66	-257.34
पु.	R.	-448.00			

(1) "भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - मुख्यालय कार्यालय" के अंतर्गत - ₹539.48 लाख की बचत (₹6679.00 लाख के पूरक विनियोग सहित ₹32477.00 लाख के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया में देरी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा काम पूरा न करने और कम एलटीसी दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(1) "Comptroller and Auditor General of India - Headquarters Office" - saving of ₹539.48 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹32477.00 lakhs including supplementary appropriation of ₹6679.00 lakhs) was due to delay in recruitment process, non-completion of work by CPWD and receipt of less LTC claims.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचतें (₹2032.32 लाख) दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹2408.00 लाख के पूरक अनुदान का 84 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से कम थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2032.32 lakhs) constituted 84 percent of the supplementary grant of ₹2408.00 lakhs obtained in December, 2023 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुए:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
------------------------------	--	------------------

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2016" लेखापरीक्षा	Head Major Head "2016" Audit				
मू.	O.	577660.00			
पू.	S.	2408.00	579768.00	578035.68	-1732.32
पु.	R.	-300.00			

(I) "सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा कार्यालय" के अंतर्गत - ₹155444.20 लाख के मूल प्रावधान को ₹150.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹155594.20 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, भर्ती प्रक्रिया में देरी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा काम पूरा न करने और मितव्ययिता उपायों के कारण ₹3527.68 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(I) Under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" - the original provision of ₹155444.20 lakhs was augmented to ₹155594.20 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹150.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3527.68 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in recruitment process, non-completion of work by CPWD and economy measures.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रह गए:-

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) "सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय" -

(A) "Civil Audit and Accounts Offices" -

(क) "सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय" - ₹315748.20 लाख के मूल प्रावधान को ₹658.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹316406.20 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, भर्ती प्रक्रिया में देरी और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा काम पूरा नहीं करने के कारण ₹113.86 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(a) "Civil Audit Offices" - the original provision of ₹315748.20 lakhs was augmented to ₹316406.20 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹658.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹113.86 lakhs - due to delay in recruitment process and non-completion of work by CPWD.

(ख) "केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति" - ₹2404.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4004.00 लाख तक बढ़ाया गया था,

(b) "Centralised Procurement" - the original provision of ₹2404.00 lakhs was augmented to ₹4004.00 lakhs by obtaining

जो, तथापि, कम परामर्शदाताओं को लेने, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूरा न करने और मितव्ययिता उपायों के कारण ₹260.26 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

supplementary grant of ₹1600.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹260.26 lakhs - due to hiring of less consultants, non-completion of work by CPWD and economy measures.

(III) “रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” के अंतर्गत – ₹1087.53 लाख की बचत (₹31252.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए रंगरूटों की ज्वाइनिंग में देरी के कारण हुई।

(III) Under “Railway Audit Offices - Field Offices” - saving of ₹1087.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31252.00 lakhs) was due to delay in joining of new recruits.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) “रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” – ₹1201.21 लाख का अधिक व्यय (₹14967.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(I) “Defence Audit Offices - Field Offices” - excess of ₹1201.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14967.00 lakhs); and

(II) “वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” – ₹1179.35 लाख का अधिक व्यय (₹27342.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) “Commercial Audit Offices - Field Offices” - excess of ₹1179.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27342.00 lakhs).

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय रिक्त पदों को भरने, अधिक दौरे किए जाने तथा और अधिक आउटसोर्सिंग सेवाओं को किराये पर लेने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads were due to filling up of vacant posts, more tours undertaken and hiring of more outsourcing services.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹3476.99 लाख) दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹7005.00 लाख के पूरक अनुदान का 50 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹3476.99 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grant of ₹7005.00 lakhs obtained in December, 2023 and 16 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2000.00	1523.00	1198.30	-324.70
पु.	R.	-477.00			
मुख्य शीर्ष "4075"	Major head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	11276.00	17341.00	16032.99	-1308.01
पू.	S.	7005.00			
पु.	R.	-940.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4075" - "निदेशन और प्रशासन - अन्य कार्यालय" के अंतर्गत - ₹11276.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7005.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹18281.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, आईटी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति में देरी के कारण ₹2248.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Other Offices" - the original provision of ₹11276.00 lakhs was augmented to ₹18281.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7005.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2248.01 lakhs - due to delay in procurement of IT hardware/software.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत - ₹801.70 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूरा न करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of ready built Accommodation" - saving of ₹801.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-sanctioning of projects and non-completion of work by CPWD.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹427.28 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹427.28 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.